न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 07 / 2020

प्रविष्टि दिनांक 19.11.2020

जरिये मुनेश कुमार मीणा,प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
— प्रार्थी

बनाम

मै0 श्रीराम स्वीट्स देवली जिला टोंक
— अप्रार्थी

जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस,एक रबर पाईप मय नोजल एंव एक भट्टी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः—

1— पेराकार सरकार — प्रार्थी की ओर से

2— श्री पकंज कुमार चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 21.12.2022**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि''शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान के तहत दिनांक 30.10.2020 को समय 12.45 PM पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा देवली टोंक में स्थित मै. श्रीराम स्वीट्स, देवली, टोंक के व्यवसायी परिसर पर आकस्मिक जाँच हेतु मौके पर पहुँचें। मौके पर श्री सुरज पुत्र श्री बंशी लाल तेली उपस्थित पाये गये जिन्होने स्वंय को मै.श्रीराम स्वीट्स, देवली, टोंक का प्रोपराईटर बताया। मौके पर व्यवसाय परिसर स्थल की तलाशी लेने पर घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 4 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रबर पाईप, रेगुलेटर के माध्यम से लोहे की भट्टी मय नोजल में जोड़कर अवैध रूप से मिठाई के पदार्थ बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा[illegible]। उक्त चारों सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर व लोहे की [illegible] मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 17:00:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस . आर . नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का तौलने पर वजन	शुद्ध गैस
01.	182044	भारत गैस	14.2	15.8	15.8	0
02	84553	भारत गैस	14.2	16.9	16.9	0
03	411233	भारत गैस	14.2	15.6	23.0	7.4
04	348369	भारत गैस	14.2	16.0	16.0	0

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर ईधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 7.4 Kg एलपीजी, गैस पाईप मय रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि मौके पर तीन मंजिला घरेलू श्रेणी का मकान बना हुआ है,जिसमें पांच भाईयों का परिवार निवास करता है। उक्त पांच भाईयों में रामेश्वर पुत्र बंशी लाल, बनवारी पुत्र बंशी लाल, राजू पुत्र बंशी लाल, बद्री लाल पुत्र बंशी लाल, सूरज मल पुत्र बंशी लाल निवास करते है तथा सभी भाई अपने परिवार सहित अलग अलग उसी तीन मंजिला मकान में अपने अपने परिवार के साथ निवास करते है। मौके पर उक्त पांचो भाईयों के मकान में उपर चढने के लिए एक ही नाल होने के कारण तथा परिवार के पुरुषो के काम करने के लिए बाहर चले जाने पर परिवार के खाली सिलेण्डरो को परिवार के सदस्य नीचे रख जाते थे,ताकि परिवार की महिलाओं को नीचे सिलेण्डर लाना नही पडे तथा गैस एजेन्सी का वितरणकर्ता नीचे सिलेण्डर का बुकिंग नम्बर आने पर राशि प्राप्त कर रख जावे। इस प्रकार उक्त खाली रखे सिलेण्डरों को प्रवर्तन निरीक्षक ने गलत रूप से मिठाई की दुकान पर काम आना अंकित कर जब्त किया है। मौके पर बरामदशुदा तथाकथित खाली सिलेण्डरों के मालिक पांचों भाईयों के नाम से गैस कनेक्शन पुनीत बलसौरा गैस कनेक्शन संख्या 104022666 तथा बंशी लाल गैस कनेक्शन संख्या 9894 तथा बनवारी गैस कनेक्शन संख्या 6261, सूरज मल साहू गैस कनेकशन संख्या 9893/1183 श्रीमति शादा गैस कनेक्शन संख्या 73635644 है। प्रर्वतन निरीक्षक को उक्त तथ्यों से पूर्ण रूप से अवगत कराने के उपरान्त उक्त गैस सिलेण्डरों को गल[illegible] का निवेदन किया गया है,,जबकि वास्तव में उक्त सभी चारों गैस सिलेण्ड[illegible]ओं के है, जिन्हें वापस उपभोक्ताओं को लोटाया जाना आवश्यक [illegible] न्याय संगत [illegible]थाकथित मिठाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 17:00:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

की दुकान से उक्त गैस सिलेण्डरो का किसी तरह से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। प्रकरण में गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर खाली गैस सिलेण्डरों को मिठाई की दुकान पर उपयोग में आना बताया गया है। मौके पर व्यावसायिक उपयोग करते हुए नही पाया गया हैं। अतः जब्तशुदा गैस सिलेण्डरो को वापस दिलवाये जाना न्याय संगत है।

प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि ''शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान के तहत दिनांक 30.10.2020 को समय 12.45 PM पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा देवली, टोंक में स्थित मै. श्रीराम स्वीट्स देवली टोंक के व्यवसायी परिसर पर आकस्मिक जाँच हेतु मौके पर पहुँचें। मौके पर श्री सुरज पुत्र श्री बंशी लाल तेली उपस्थित पाये गये जिन्होने स्वंय को मै. श्रीराम स्वीट्स देवली, टोंक का प्रोपराईटर बताया। मौके पर व्यवसाय परिसर स्थल की तलाशी लेने पर घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 4 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रबर पाईप, रेगुलेटर के माध्यम से लोहे की भट्टी मय नोजल में जोडकर अवैध रूप से मिठाई के पदार्थ बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त चारों सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर ईधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। उक्त जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 7.4 Kg एलपीजी गैस रबर पाईप, रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री मय गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सम्भालकर रखने हेतु टोंक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री चेतन प्रकाश मोहन गैस एजेन्सी देवली को सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहॉ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्त कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 7.4 Kg एलपीजी, गैस पाईप मय रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय [illegible] से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि जवाब को ही बहस माना जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 17:00:37 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस/जवाब पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 30.10.2020 के अनुसार मै. श्रीराम स्वीट्स देवली टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहे उक्त 4 सिलेण्डर मय रेगुलेटर पाईप,रबर पाईप व गैस भट्टी सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस . आर . नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का तौलने पर वजन	शुद्ध गैस
01.	182044	भारत गैस	14.2	15.8	15.8	0
02	84553	भारत गैस	14.2	16.9	16.9	0
03	411233	भारत गैस	14.2	15.6	23.0	7.4
04	348369	भारत गैस	14.2	16.0	16.0	0

जांच करने पर दुकान/गोदाम मे मौके पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर पकंज तथा नन्दलाल के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी पकंज,नन्दलाल के हस्ताक्षर है। गैस एजेन्सी देवली के प्रतिनिधि पकंज शर्मा को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व खाध सामग्री बनाने के कार्य में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 4 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 7.4 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)

जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 17:00:37 IST
Reason: SelfAttested